निवाह एक हमीनिक सम्प्रस्त । विलाह एक धार्मिक संस्कार के कप में]! भारतीय परंपरा में बिवाह एक हार्गिक भरकार के अप में रहा है। विशेष 1विलाह अवस्थिम 1954 तथा 18'8-१ तिवाह अग्रि १९५५ । १९५५ सह। इसे एक सारिया के अप में धारिया हिल रिया गपा। दिंद्र विवाह के तीन प्राथामिक उद्देश्य रहे हैं :-ण शर्माः हार्मिक कार्यों के त्यिं जारी ल्यवहार की अंग्रमंग जारी भा पत्नी की आवश्यकता। ण गुजा: संवातां की उद्यानी तथा उन्हें सामामिक वेद्यता भवान कर

भगाज करी स्टितरता वनार्य राजना

18 व विवाह - 3 दिश्प धर्म प्रजा राति (संस्थान)

मारेलाओं से संबंधित 49E = -490(A) हारेलं (ठ्यात्मक ति

5-/1. POCSO ACH 2012. DHC ने ; पांकसी मामले की संवेदनशीलवां व मानवीप

@ राते! भीत ईन्द्वाओं की अति। विवाह के स्वारम में नवीन वारिवारन :-· Idare के हार्मिक पदा कमजोर. . ारीवार के नवीन तरिकल्प की उपारितारी पया समलेंगी भीवाह, भीनीम रिलेशनारीप थाए। • विलाह विन्हेंद की लाइती हंगी पर। . वैवारिक खलाल्कार् की घरनाओं के कारण तीवाह जैसी . संस्था के शरितल पर परन चिहा। वैवादिक बलात्सर् चर्चा में वर्षा! O ए. जर्मा कामार के बारा जैवारिक जलात्कार संबोधित काचन बनापे जाने जी बात्। (1) सर्वोत्त्व न्यापालयं को J.P.C सेवशन 37,5(2) के । रेस आकर क्या गया केसला। निकेंद्र भरकार के हारा वैवार्टिक बलाल्यकार को भाष-राधिक्त न थियं जाने संवाधित उ.८ में म पायर थारीका (1) केंद्र वारीवादी संगढना के डारा इसे अपराहाकत 124 जाने भी भाग। वैवाहिक अलान्तार संबाहात कावन !-. पारतीय सोवेदानं, I.D.C., लपा अंपराधिक नायनं भे वैवाहिन जलाका (शहद का प्रयोग कहीं नहीं हिप् गपा है और न ही इनसे संवाहात कोई पन जारी स्पद म्य से त्यारत्यतायत हैं या रतीय द्य-संहितां की धारी 375(१) की अनुसार, यह दे

वार्म त्यावतं अपनी १५ वर्ष भे अंधिक उम् की वर्षा वर्ष के अंदिन अपनी किला का विद्या गंबंध ररवाता है तो यह बालात्कार की प्रेंग्नी ध नहीं यायेगा।

उल्लेखनीय है ती वाल । विवाह संरक्षण थाहा- 1976 के तहत ते वंदी से कप उम् की किला है पारिला का विवाह और नाइनी है। यत: नाइनी: आरेलता IPC सेवन्यान 375(2) क्या लेकर भए वर्ष % वर्ष अपने प्राची है। असके भारथ- याच POCSO Act की सेवाहकः धारा के भुताबिक 12 वर्ष भी कम उम्म की हैसी थी भारेला के राम् योह संवद्य रक दण्डनीय अपराय IPC सेवन्धान 315 (2) में संशोधन की मांग की गर्म।

उसके साथ साम उट ने भी 10 वर्ष से कम उम्र की वैवादिक मार्टका के साम् उनकी सहमारी क चिना भीन संबंधी की स्थाप अलात्नाट की होती प थला है तम दर्ज भी त्यवरण की है इसे अपी कारणां से वेवाहिक वलात्कार् कर्ष आपराधिक्र ारीय जाने की गांग की जा रही हैं।

वैवाहिक बलात्कार् के कारण !

क्ष्मवादी मानस्कता, या वित्रसतानमका ता

माहेलाओं की. ग्रांपती सम्पाती समझता

धार्मिक कारण - (धारी पश्मायत् की अवधारणा)

[ा]र्वेट्र मानासकता

जारी की 34 थोग की वर्त-के क्ये में समस्ता)

वसरा संखोधित कार्न की अभाव।

महापम या दुर्लासन ।

एस में तर्क! मारीद्याम के अंतर्गत वासित प्राण एवं वेहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन । खिलाह भैकी संस्था में दोनों पड़ों की स्वीकृति आवश्यक, • माहिलाओं के पारी कार्य के अधाव के कारण इस धकार की अहती धटनायें। पाहलाओं पर इसका नकारात्मक मनीवेजानिक प्रमाव। विपष्ट में तर्कः त्यापरगाद्यक्त न विदे जा के स्ववंद में तर्का (भारत सरकार का तर्क) :-माहिला क्रों के व्यारीरिक प्रताइना म को खा का में संखंहित पहले ही कर्न कार्न उपरिवात (IPC सेवडान 490 CA, धरेल १हरेगा आहे आहे) मतः नाम नाम की आवश्यकता तहीं विश्लीहै इससे न्यायवात्रीका के समस कारती जारेललायें बढ़ जायेंगी • इस प्रकार के कालन है। विवाह जैसी संस्पा के उद्वेश पर ही ध्रम त्रीहर्न लग जायेगा। • भारतीय वारिवेश में खिवाह की प्रकृति पं के देखों भी जुलमा में अलगा है अपारि रसमें अभी भी शामिन भ्यात विश्वता है अतः पार्रचारी उत्तर् आद्यानिक भूत्या की पारतीय वारिवेश के नहीं थोपा अन सकता। • बस पकार के पामले लेहद ही भिजी पक्रारी के हैं अले इसमें भाष्ट्रा की अपान हैं दर्भ के भाष- भाष पह भंदाहात कांस्त है। जैसमें प्रापः मजा पर्मनल लान ति गाउडाम नहीं होता है। ार्चाल कह तथाना में बस धुकार के पामलों में इस प्रकार की शर्म देखी गर्मी हैं अतः वस पर लीचार करना आवश्यक है पर्त हिसी की ट्यानलगल समहणा का भणायान । क्षेत्रे अपूर्ण

कर वर ही पमान्त नहीं है बहिन पह त्यांक्रियात स्वं स्नामाणिन मेरिकता सं स्ती धुरा है। इसके, राला-साम् मार्च के अथाद में प्रिमी स्ती अन्यापं की न्याम असीत नहीं ठहराया जा सकता। इसके किंच आवश्यक किंग्न मानता संबंधित मानहानों के साथ-साथ स्वी युक्य समानता संबंधित स्वा क्ष्म की भी तिकासित करमा होगा पिन वेद्यापित प्रावहान जमाये जान सं कार्मी जारेक्वा में बुद्धें होने के साथ-साथ तिवाह के अब्देश्य की बी नुके-साम पहुंच सकता है। यतः इसे माहिकामी के तिकेन वार होन्ने ह्या अनसे संवोधित स्था कहारी भावहान की वहार्ये छो अनसे संवोधित स्था कहारी भावहान पहले भी यह व्यवहार में देखा गया है। दे कर्र बार कार्य का सद्वयोग होने की बजाय अनका दुरायोग आधिका हमा है।

जैंडर न्यूट्रल कानून की जरूरत

विनयं जायसवाल

ह्मल ही में दिल्ली में 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' नाम से ऐसे पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पुरुष आयोग को आज की जरूरत बताया गया और राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह ही इसके गठन पर जोर दिया गया। दरअसल पुरुषों का एक वर्ग भी समान प्रभाव का एक आयोग चाहता है, जो उनके संवैधानिक, कानुनी और लैंगिक अधिकारों की आवाज उठाए। इसकी मुख्य वजह है भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और भारतीय दंड प्रक्रिया सहिता (सीआरपीसी) के कई प्रावधानों का पुरुषों के लिए लैंगिक रूप से भेदभावकारी होना। इसके अलावा महिलाओं के लिए कई विशेष कानून बनाए गए हैं जो पुरुषों के साथ लैंगिक रूप से भेदभाव करते हैं। ऐसे कानूनों में पुरुषों का सबसे ज्यादा आक्रोश आइपीसी की धारा 498ए और धारा 376 को लेकर है। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और सीआरपीसी की धारा 125 को भी लेकर पुरुषों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि उनके पक्ष को अनसुना करके फैसले किए जाने के प्रावधान वना दिए गए हैं।

देशभर में 498ए यानी पत्नी के खिलाफ पति और उसके नातेदारों द्वारा करता के मामले में पांच लाख से भी अधिक मामले लंबित हैं। अगर इससे संबंधित घरेलू हिंसा, गुजारा भता, तलाक जैसे अलग-अलग चल रहे मुकदमों को जोड़ लिया जाए तो लिवित मामलों की संख्या 10 लाख से ऊपर होगी। इन सभी मामलों में कथित आरोप पर ही सालों मुकदमा झेलना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय ने 2010 में ही प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड सरकार के चाद में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि 498ए की तरह प्रतियों की क्रूरता के लिए भी समान प्रभाव की कानून बनाया जाय। अगर इस दिशा में कदम उठाया गया होता तो आजरायद पुरुष आयोग की मांग नहीं उठती।

हाल ही में आइपीसी 497 पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ बताया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि यह विचार कि पुरुष हमेशा व्याभिचार की पहल करता है और स्त्रियां हमेशा ही पीड़ित होती हैं, पुराना हो चुका है। आइपीसी के इस अधिनियम को खारिज करने के दो महत्वपूर्ण आधार थे। पहला कि इसमें किसी विवाहित महिला से किसी पुरुष द्वारा स्वेच्छा से यौन संबंध होने पर केवल पुरुषं को सजा देने का प्रावधान था, दूसरा पति की इच्छा से इस तरह का कोई संबंध अपराध के दायर से बाहर था। दोनों आधारा पर यह लैंगिक रूप से भेदभावकारी था, क्योंकि एक तरफ पुरुष पर एकतरफा कार्रवाई का प्रावधान था जबिक दूसरी तरफ पति को पत्नी के ऊपर मालिकाना हक दिया गया था।

सवाल यह भी है कि जब हिंदू विवाह अधिवियम की धारा 13(1) ए में क्रूरता के आधार पर पति और पत्नी दोनों तलाक ले सकते हैं नो 498ए में क्रूरता केवल पति और उसके नातेदार ही कैसे कर सकते हैं? -इस आधार पर 498ए लैंगिक रूप से न केवल भेदभावकारों है, बल्कि सर्विधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता के अधिकार से विचित करता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 में 'एडल्ट मेल पर्सन' में से एडल्ट मेल को हटाकर जंडर न्यूट्ल बनाया तो 498ए में अपराध को दो लैंगिक वर्ग में बांटकर यह कैसे कल्पना की गई कि एक वर्ग क्ररता कर सकता है और दूसरा नहीं। आज भी 498ए के संवैधानिकता वैधता के सवाल हमारे सामने खडे हैं?

दरअसल समस्या लैंगिक रूप से भेदभावकारी कानून है और उसका हुल जेंडर न्यूट्रल कानून है, जबकि लोग उसका समाधान पुरुष आयोग में खोज रहे हैं। पुरुष आयोग या समान प्रभाव का कानून लाने से परिवार और वैवाहिक संस्था आज से ज्यादा कोर्ट और आयोगों में उलझकर रह जाएगी। इसका समाधान वैवाहिक, पारिवारिक और यौनाचार से जुड़े मामलों के लिए जेंडर न्यूट्रल राष्ट्रीय परिवार आयोग' बनाने में है न कि अलग-अलग महिला और पुरुष आयोग। जिस तरह हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आइप्रीसी 497 और धारा 377 में रिश्तों की लैंगिक भेदभाव की जकड़न से बहुत हद तक रिलीफ दिया है, उसी तरह आज इस बात की भी ज़रूरत है कि पारिवारिक और वैवाहिक कानूनों में लैंगिक भेदभाव को खत्म करते हुए उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए।

रमान हिंगी के प्रांते भावाह मक एतं शारीरिक आकर्षण की समलींगिकता कहा जाता है और रशके अगरार पर हेर्न वाले तीवाह की समलेंगिक तीवाह कहते हैं। उपाहरण-स्वक्रण भर्मला-भरहेला तथा पुरुष-पुरुष के भह्या प्रदेश अग्राज मं इस प्रकार के संघा की अधिकार समाज मं इस प्रकार के संबंध की तीवाह की समाज में इस प्रकार के संविद्ध ती अग्राज में व्यवस्था अग्राज में अग्राज में व्यवस्था अग्राज में व्यवस्था अग्राज में व्यवस्था अग्राज में व्यवस्था अग्राज में व्यवस्था अग्राज में अग्राज में अग्राज में व्यवस्था अग्राज में अग्राज में अग्राज में व्यवस्था अग्राज में अग्राज में

भीन दरहाश्रों की असी भारती की प्रले धव्निस्त रही है परंतु दक्षका थी ती हारिण समाज हारा ही । प्रेया मिया विद्येत विक्षेत्रों के पहा संबंध की ही भारतिक माना ग्रांवा है क्यों में दक्षि संवानों की उत्वान की अवानि के पाह्मा में भारति की विकास का पारे प्रिक्त स्वर धार्मिकता आहा परित की स्वर हो है। अतः धर्म र स्वर भकार की प्रदेश की अने देश की अने दिन की प्रकार की प्रवान की प्रवान

उत्त की धारा 377 के अनुसार समर्ती गिकता की अवरादा विशेषित करते हुंग बसके तिये एक की ट्रांवरण जाते.

IP.C. 2 497 & C+PC. 198(2)

yidest ENUT (Horour Killing)

म्युल्प रक सामाधिक प्रापी होने के स्माय-साम् एक मनावेकाती भागी भी है। अर्थात । देखी भी मनुद्धा की सम्मान. पुरस्का वण तया सामाजिक बारिस्कार् का त्यापक प्रयाप उसके त्यावित त्व पर पहला है। धत्यक भामाज में तिवाह जैस करणा का अस्तित्व है जिसे संच्यातीत कर्न है कह शामाजिक भीषम होते हैं जिनका पालन करना सम्बो से अविधात होता है और इन निपमा के पालम न करने की दियाने- धं समाज हों। उसकी वाहितकार सम्बे पार्टित हिया जाता है। अतिहार हत्या विवाह भंदी निर्वाह्में की पालन न करने के कारण की जाने वत हत्या है भिस्का उपत्रप्र सामामिक प्रातिका सर्व परेपरा की संरक्षित करते


धारत के कुछ असुन राज्यों असी पणा पंजाल हरियाणा. प्रेंग उत्तर- अंदर, १६ लली-राजस्यान के कह पाम प रस धकार की धटनमां की अधिन उपरिवात देली गार्थी है तीरांने पहि राथानीय जातीप -पंचायल (खाएँ पंचापल) की महत्वस्परियोगदान रहा है पुरत्प राष् म स्मान मिलाह राले अन्तर्जातीप विवाह संबंधित तिवेद्यों में उटलंदान के कारण रहा धकार की धरनामं देखी गयी है।

भलेका हत्या के कारण !-

ों विवाह संक्रीयत तीय हों का अल्लेहाना ा। निकार संबंधियों विवास से खतं संवोधित म्बेसिं अगुर्स (w) की अविभागित धाएगा।

छ हित्सलात्मक त्या सामतवादी अवस्ते।

@ खाय पंचायत का प्रचलन भी विश्व एवं श्रामन व्यवस्था की ध्रमभावादा जा जातीत पहनाम प्रत्म होने का या सर्वीत्य व्यायालय का ग्रांतिका संबोधत पापले पर जैसला: व्यायमुद्धि मार्कण्डेप कार्य एवं भान सद्या नेमां की स्वरापीं र प्रातेष्ठा सं हत्या में संबंधित अपने शानिहारिक प्रमले म तीम अगती और एवर है-पार्तिकहा हत्या में कुद्द भी पार्तिकहा प्रम्य नहीं है बहिन पह राका भाष्य संयाज हारा की गार्गी अर्बर एवं नेशेस हत्या हैं जी में विदे अमानवीय है भ लिक गाँउ - आचनी एवं असंविद्यानिक है। पह निर्माटी 21 में वार्धन पाण अवं देखिन स्वतंत्रवा मा उल्लंधन केरता है 27 stick they that UE IPC of धारा 299 है उन्हें के अंगानि नरसंहार के स्वलप में गायल की जहाम र्य जहामतम (क्लाहितका) असमें शामिल त्यांबेल की जहाम दं जहात्मतम (क्क्टिमका) न व्यवस्था होने चारियं। न्यापालप् का संबोधत राज्यों के प्रशासनिक शास्त्रिना-1यों की सरल निर्देश है भी इस अकार के वर्ष भामली पर फील कार्पवाही अर्थ हमें इसे तलाल रोका जार्षे।



Que मंयुवत वारिवार की अर्थ. विक्रोमता, शंरचना स्ते कार्य में वारिवर्तन गुण / दोष महत्व , पारीवर्तन के कारक

मंप्रवत गारिवारः यारीबार का केया रवहत् । जीसमें 3 या 3 में आहाक ती दी के लेल रक ही हत के मैद्रा मिवास करते हों, भिनकी साइनी रमोर्स. भावनी भोगती हो, सम्युक्त पारिवाद कहलाता है? प्रार्थीय समाज की धार्मिक प्रभाव कर्न कुलक सामाजिक संरचना के कारम वारवाद का स्वरूप संपुत्त धारेवाद रहा है थारतीप संबर्ध में परिवार का अर्थ ही संयुक्त पारिवार स है। इसमें अदियों से यारतीय देल्य के यूल्य संस्कृति त्या पर्या. प्रया. जीवनकी - अगदि की अगते सदस्या प्र ममाजीकरण की शहरा के तहले डालकर समाज का ानीरंतरता धवान की है। इसने पुल्ल कार्प तीम हैं:

- भंतमां का लालन- पालन।
- भक्स्यों की आर्थिक- सामाजिस सुर्थना अदान
- भद्रपों के पहुंचे भावनात्मक लगाव और रहिता। (ii)
- धार्मिक लगा मनोरंजनात्मक कार्य।
- छ भदस्तों की एक मामाजिक पहत्तम अन्त करना। क्र सदस्यों का सामाजीकरम कस्ता।

। श्रीधतायं ! पारेवार की वड़ी आकार। याधकारा वित्रमतात्मक भारती भांदानी धार्मिक यलपा की प्रधानला विकाल भवस्यों के महत्य आधीक याहारों पर भिर्याता। परिवार भवे गुहरू (HouseLadd) म difference blood or marriage (as we P.g. (common kitchen) मंपुणत पारिवार के वोहा: प्राटिलामों की अवेदान्त तीम विवत ं व्यावितगत स्वतंत्रता के मणी प वाद्यकी • भंपारी सारिवान्सित वितावाँ की आहालता। म् भुश्वया की तानाक्षारी . धरेल् हिरेंग व कुल की उपारिधारी। में पुक्त धारिवार में धारिवर्सन लान वाल कारक . औद्योगीकीकरण व नगरीकरण जातीत वारिस्वातियां गहिलामों की सामार्जिक प्रधारी दे सहगर। ट्यांकेतवादी प्रत्यां की प्रधाया + - वेश्वीकरण विक्रियमीवारण वसा मास्तिकीकरण जेसी प्रक्रियां 051 921191 विद्या. स्वारक रवे गारीय जीवन होत्ती के भागकेत के कार्ग थवसम्। महता! । हिल्ले ३: की--धार वशकों में सामाजिक-भाषिक विकास की शर्रियाओं के कारण संयुक्त पारिवार की संरचना म पारिवर्तन आया ही. पुल्प भए में ग्रायीण धार में रायार का मकड़ कार्य का नुहरावन वता व्यान्तक रोजगारी की अमिलाइटाता र नगरीवरण की अवस्था की

4)

कार कराता । दिला । धीरार्ग भीरावाल भीर पारिवाहकी संस्कृत wands fell & & singles upart of short 4 ag उसमें कोई बाक नहीं है आर्रिक कारक मांयुवन यह स्थारका को अवारति कर्ने प महन्त्रणी मुराका क कि सत्यों जी अधिकावित है। वहीं कारण है दि प्रारत के का रामुख प्रदेशों में भाषिक विकार की प्रतिपामी के लावंत्रपुं क का अम प्रधान स्वरुप संयुवत परिवार शि नामनीय संदर्ध में भागित, वारित करियम के माधिक पारिवार से जिल्म है जगाड़ है यह अपने म संयुवतिती की पालना के साथ अपने पूर्व पारिवार की पहरी हमा है अमेर गामीज क्षेत्र में आज प्री यांपुकत परिवाद ह आह्मकांगत अपलब्हा है। भारतीप समाज के वास्त्रीके अण्हार 1-YREIL अग्राम त्युवरयोग क् जीवन के दन्वरम् अस्चर् (100 वर्षा तव) यंस्का त् 103/ जीवन के लक्ष्य . on H HK HZUj उद्देश्य . · YIYGEN . ५६६वा आयम वित्र मरण • सीरीत हार्म. अर्टा कार्म मोडा . लानप्रस्प न्यातिक संयासन वर्ष पंत्राध्या. • संचायीक्र (जा उत्तरहरातिपताद क्री विकत्तावाद